रीडर
उपखण्ड अधिकारी मांडल

24-1-23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रूक रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही, इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:07:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या– 229/22 रा० पत्र

श्री प्रकाश s/o श्री गजानन्द सोनी निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सोसी w/o श्री श्रीमालाल रेगर निवासी- माण्डल तहसील माण्डल [पूर्वांग] (प्रतांकित-प्रा०पत्र संलग्न)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 24.01.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेजा पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते की आराजी नं. 2777/220 कुल किता 01 रकबा 1.2646 स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.10.22 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को ...नार्थ से यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का ... । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ...सर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेशः::

...का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा पटवार मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 2777/220 किता 01 रकबा 1.2646 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी ...जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख ...क्षक मेजा को 600/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने ...पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथा... को आधार ...कर पत्थगढ़ी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:03:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा